

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक १४ फरवरी, 2018
विषय:- महिला शक्ति केन्द्र (MSK) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-565/303/UWCDS/MSK/2017-18 दिनांक 22.01.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) के अंतर्गत महिला शक्ति केन्द्र के नाम से नवीन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण में राज्य के 05 जनपद यथा पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, देहरादून एवं हरिद्वार में संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः उक्त योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 318 (1)/XVII(4)/2018-05(24)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त नियन्त्रक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।